तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से बहस प्रार्थना पत्र की गई। जो सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के स्वयं के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या या 133 पुराना 127 की खसरा नं0 341 की रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम रामराजपुरा पटवार हल्का मानसगांव तह0 लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है, जिसका प्रार्थी खातेदार है, और बतौर खातेदार आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का वास्तविक नाम प्रेमचन्द पुत्र श्री रामचन्द्र जी है , और प्रार्थी के आधार कार्ड सं0 824406823414 में तथा निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र में तथा पेन कार्ड एवं बैंक खाते एवं ग्राम ताथेड़ में स्थित संयुक्त खाता सं0 163 की आराजी की जमाबन्दी आदि में सभी में प्रार्थी का वास्तविक नाम प्रेमचन्द पुत्र श्री रामचन्द्र ही दर्ज है, किन्तु उक्त खाता सं0 133 की रामराजपुरा की जो जमाबन्दी है, उसमें प्रार्थी का वास्तविक नाम प्रेम चन्द के स्थान पर सहवन से बनवारी पुत्र रामचन्द्र महाजन अंकित हो गया है, जो कि पूर्णतया गलत है, बल्कि प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम प्रेमचन्द पुत्र रामचन्द्र महाजन है, ओर प्रार्थी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध निम्न निर्णय पारित फरमाया जावें कि प्रार्थना पत्र के पेरा सं0 1 में वर्णित प्रार्थी के स्वयं के खाता संख्या नया 133 पुराना 127 की ख0नं0 341 की 0.12 है0 वाके ग्राम रामराजपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा के रिकार्ड व जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम बनवारी के स्थान पर प्रेमचन्द पुत्र रामचन्द्र महाजन दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का वास्तविक नाम रिकार्ड व जमाबन्दी में दर्ज किया जावे। प्रार्थना पत्र का व्यय व अन्य सहायता जो न्यायोचित हो वह प्रार्थी को प्रदान फरमाई जावे। प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि उपस्थित ग्राम वासियान ने बताया बनवारी और प्रेमचंद दोनो एक ही व्यक्ति है। बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया। उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक की प्रति एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बनवारी एवं प्रेम चन्द एक ही व्यक्ति है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम रामराजपुरा पटवार हल्का मानसगांव में खंसरा नं0 341 रकबा 0.12 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बनवारी पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर बनवारी उर्फ प्रेम चन्द पुत्र रामचन्द्र दर्ज किया जावे। उक्त निर्णय आज दिंनाकः 26/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा 26/5/25	